न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 10/2018

राजेश बनाम **केशरा आदि**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :– **दिनांकः– 22.05.2018**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सार यह है कि प्रार्थी के कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 379 रकबा 4.97 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 380/487 रकबा 0.76 हैक्टेयर तन ग्राम जालू, पटवार हल्का घिरणीयां बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है।

यह कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 379 एवं 380/487 में ट्रेक्टर, पशुधन, उंट गाड़ी आदि लाने ले जाने का कटानी रास्ता अवस्थित नहीं है अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के खेत खसरा नम्बर 368 रकबा 2.71 हैक्टेयर में से होकर जाता है जिससे होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 379, 380/487 में ट्रेक्टर जीप उंटगाड़ी पशुधन आदि लाते ले जाते है किन्तु पगडडी को विस्तार 15 फुट रास्ते कायम किया जावें उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है।

यह कि प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिये प्रचलित रास्ते को प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए,बी,सी, डी मार्क से दर्शित किया गया है,नक्शा प्रार्थना–पत्र का भाग रहेगा।

यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि खेत में आवागमन के प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड नक्शें में तरमीम करवा दो, अप्रार्थीगण पहले तो हां करते रहे परन्तु दिनांक 24.041.2018 को रास्ते को नक्शें में तरमीम करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया इस कारण श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। यह कि प्रार्थी भूमि के बदले भूमि देने अथवा रास्ते की भूमि की कीमत अदा करने को तत्पर है, इस कारण 16 फीट चौड़ा रास्ता कटान में तरमीम करने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है। यह कि प्रार्थना–पत्र दो रुपये के न्यायाशुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 379 एवं 380/487 ग्राम जालू में आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के खेत खसरा नम्बर 368 में से 16 फीट चौड़े रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड (नक्शे) में किये जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये एवं प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। इसी दौरान पत्रावली आज राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प सुठोठ में पेश हुई। प्रकरण में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को जारी कैम्प नोटिस पर उक्त दोनों पर विधिवत तामील हो चुकी है। जो कि कैम्प स्थल पर अनुपस्थित। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। जिसमें अंकित किया है कि ''ग्राम जालू के ख.नं. 379, 380/487 में जाने के लिए ख.नं. 368 में से रास्ता चाहा है। ख.नं. 368 में से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 76 मीटर है। प्रार्थी वादी ने ख.नं. 379, 380/487 के लिए ग्राम जालू के ख.नं. 20 के समीप एक अन्य रास्ता है। जिसका ख.नं. 22 है ख.नं. 20 में से होकर रास्ते की लम्बाई 68 मीटर है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए सबसे कम दूरी का रास्ता ख.नं. 20 में से होकर है जबकि ख.नं. 20 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है।'' साथ ही केम्प स्थल पर राज पेराकार एवं पटवार हल्का से विवादित खसरान से संबंधित संपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी खसरा गिरदावरी रिकॉर्ड मय नक्शा वास्ते अवलोकन हेतु तलब किया गया। प्रस्तुत रिकॉर्ड व नक्शों के अवलोकन से जाहिर है कि वर्तमान में मौके पर प्रार्थी के लिए निकटतम रास्ता खसरा सं. 20 में से जाता है जिसके खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिसकी ताईद तलब राजस्व रिकॉर्ड, प्रस्तुत तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेजों से होती है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता की मांग का पक्ष सबल नहीं है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्यपूर्ण नहीं पाया जाता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को केम्प कोर्ट सूठोठ मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official